

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F1(1)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2019/Part/ 1542

दिनांक : 19/07/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉयमेंट रूल्स, 2017 के नियम 19 के अन्तर्गत गठित रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा विज्ञापित क्रमांक F1(1)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2019/SPL-2 दिनांक 01.02.2019 के अनुसरण में नियम 20 के अनुसार प्रस्तुत की गई सूची में से नियम 22 के अन्तर्गत चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित रिक्त पद पर समेकित वेतन पर नीचे अंकित शर्तों पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

S. No.	Department	Post	Form No.	Name of Candidate	Date of Birth	Category	Place of Posting
1.	Pathology	Senior Demonstrator	201907905079	PEEYUSH KUMAR SAINI	04-05-1984	GENERAL	Bhilwara
2.	Pathology	Senior Demonstrator	201907908025	KOMAL BAGHLA	12-09-1992	GENERAL	Pali
3.	Pathology	Senior Demonstrator	201907905966	VIPIN KUMAWAT	19-06-1993	OBC-NON CREAMY	Bhilwara
4.	Pathology	Senior Demonstrator	201907907051	SUNIL KUMAR	31-03-1992	OBC-NON CREAMY	Pali
5.	Pathology	Senior Demonstrator	201907905477	TARA CHAND BRAHMI	10-06-1992	S.C.	Dungarpur
6.	Pathology	Senior Demonstrator	201907907236	Prateek Meena	26-10-1989	S.T.	Dungarpur
7.	Community Medicine	Senior Demonstrator	201907904991	PREETI TIWARI DATTA	04-01-1990	GENERAL	Bharatpur
8.	Community Medicine	Senior Demonstrator	201907905604	REKHA SHEKHAWAT	11-04-1990	GENERAL	Churu
9.	Community Medicine	Senior Demonstrator	201907906616	SUSHMA SINGH RATHORE	27-09-1956	GENERAL	Dungarpur
10.	Community Medicine	Senior Demonstrator	201907905210	Ved Prakash Agrawal	27-05-1987	GENERAL	Bhilwara
11.	Community Medicine	Senior Demonstrator	201907905292	UPASANA CHOUDHARY	26-01-1991	OBC-NON CREAMY	Pali
12.	Physiology	Senior Demonstrator	201907907292	KOMAL BAGHLA	12-09-1992	GENERAL	Churu
13.	Physiology	Senior Demonstrator	201907905694	LOKESH KUMAR MEENA	15-12-1987	S.T.	Bharatpur
14.	Physiology	Senior Demonstrator	201907909976	DINESH KUMAR MEENA	13-07-1993	S.T.	Barmer

Shaw
19/7

कृ.प.उ.

S. No.	Department	Post	Form No.	Name of Candidate	Date of Birth	Category	Place of Posting
15.	Anatomy	Senior Demonstrator	201907905298	UPASANA CHOUHARY	26-01-1991	OBC-NON CREAMY	Churu
16.	Biochemistry	Senior Demonstrator	201907906124	NAVNEET SINGH	30-01-1992	GENERAL	Dungarpur
17.	Biochemistry	Senior Demonstrator	201907906474	NEHA GARG	18-12-1988	GENERAL	Bharatpur
18.	Forensic Medicine	Senior Demonstrator	201907907523	REENA MALVIYA	25-06-1988	GENERAL	Pali
19.	Forensic Medicine	Senior Demonstrator	201907906547	RADHESHYAM JAT	12-03-1989	OBC-NON CREAMY	Dungarpur
20.	Forensic Medicine	Senior Demonstrator	201907909898	MEGHRAJ SHARMA	14-09-1991	GENERAL	Bharatpur
21.	Forensic Medicine	Senior Demonstrator	201907905938	NEMI CHAND GARG	01-01-1992	S.C.	Barmer
22.	Forensic Medicine	Senior Demonstrator	201907908483	DINESH CHANDRA KHADA	15-08-1988	S.T.	Bhilwara

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- उपरोक्त नियुक्ति आदेश में वरिष्ठ प्रदर्शक एनाटॉमी/फिजियोलॉजी के पद पर की जा रही नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2370/2019, 2373/2019, 1844/2019 एवं 2631/2019 के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन (subject to) रहेगी।
- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों पर राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कन्डीशन्) एम्प्लॉयमेंट रूल्स, 2017 (as and when ammended) लागू होंगे।
- उपरोक्त नियुक्ति एमबीबीएस डिग्रीधारी वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर एक वर्ष के परीक्षा काल पर होगी एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दो वर्ष का परीक्षा काल रहेगा।
- परीक्षा काल में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- परीक्षा काल के दौरान अभ्यर्थी की सेवाएँ असंतोषजनक पाए जाने पर बिना कोई नोटिस दिए सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने पर 10 दिवस में अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य के यहां प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया का आगामी दिवसों में निरीक्षण संभावित है। अतः कार्यग्रहण काल में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। 10 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शैक्षणिक विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र एवं साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण संबंधित मेडिकल कॉलेज जहां कि उसका पदस्थापन किया गया है, के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करा कर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

Shaw
13/7

कृ.प.उ.

8. अभ्यर्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएँ बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किए जाने के योग्य होंगी।
9. अभ्यर्थी कार्यग्रहण के समय इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
10. वेतन, अवकाश, सामान्य बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सोसायटी के नियम लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक/कार्यानुभव/एकेडमिक/पब्लिकेशन/जन्मतिथि/आरक्षण जाति आदि के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्रों से संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा ड्यूटी ज्वार्इन करते समय किया जावेगा।
12. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


13/7

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- FI(1)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2019/Part/ 1542

दिनांक : 19/07/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/डूंगरपुर/चूरु/बाड़मेर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से।
7. नोडल अधिकारी, वेबसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।


13/7

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर